कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1516018 दि० 16-06-2015

पत्र सं0-विधि-4(1) अधिनियम/नियमावली संशोधन/ डीलर मार्किग /-2014-15 / 339 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर

(विधि-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक: 29 मई , 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) /(कार्पोरेट सर्किल)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत वर्तमान में व्यापारियों के टिन को निरस्त करने हेतु नोटिसें आन लाइन जारी की जा रही है । टिन निरस्तीकरण के लिए जारी नोटिसों की भांति उनके निरस्तीकरण आर्डर आन लाइन जारी किये जाने की व्यवस्था विभागीय साफ्टवेयर सेन्ट्रल व्यास में कर दी गयी है , जिसे आन लाइन जारी किये जाने के संबंध में निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1- TIN Cancellation से संबंधित आदेश के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यास सेन्ट्रल पर Login किया जायेगा।

2- Login करने के पश्चात् Main menu में उपलब्ध Registration Link में से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए अथवा व्यापारी के आवेदन के आधार पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप TIN का Cancellation किया जायेगा।

3- TIN को Cancel करने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Assessment Module पर पुन: Login किया जायेगा। Login करने के पश्चात् e-Orders link पर Click करने पर "Order by cancellation of Registration" के link पर Click करने पर "Entry" and "Print" के विकल्प उपलब्ध होगें।

4- "Entry" link पर Click करने dropdown में से office का चयन किया जायेगा 1 इसके पश्चात् Cancellation by dealer Request अथवा Cancellation by office में से उपर्युक्त Radiobutton का चयन किया जायेगा।

5- इसके पश्चात Select Tin option में सभी Cancelled TIN ड्रापडाउन में उपलब्ध होंगे। इनमें से संबंधित TIN का चयन dropdown से करके submit का बटन Click करने पर TIN Cancellation का प्रारुप उपलब्ध हो जायेगा। प्रारुप में विवरणों का अंकन करते हुए TIN Cancellation से संबंधित कारणों का उलेख "Remark " field में किया जायेगा। समस्त विवरणो के अंकन के पश्चात Submit करके "Verify" करने पर TIN Cancellation का आदेश generate हो जायेगा।

6- TIN Cancellation का आदेश Print करने हेतु Print के Option पर Click करके dropdown से संबंधित order no का चयन करके आदेश का प्रिन्ट निकाला जा सकता है।

उपर्युक्त संबंध में, अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए दिनांक 01.06.2015 से Online TIN निरस्तीकरण आदेश जारी किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में प्रेषित है।

S. Tripathi

(साधना त्रिपाठी)

एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश , लखनऊ।

पृ0पत्र सख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि, ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(साधना त्रिपाठी)

एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।